

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील उदयपुर,
जिला लाहौल-स्पीति (हि0प्र0)

संख्या : 22 / NCNT / 2025

तारीख मरजुआ : 16-07-2025

वीर भद्र पुत्र शिव दयाल, निवासी गांव सिन्दवाडी, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल एवं स्पीति (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

प्रार्थना पत्र बराए नाम दुरुस्ती बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

इस मुकद्दमें का संक्षिप्त सार यह है कि उपरोक्त वीर भद्र पुत्र शिव दयाल, निवासी गांव सिन्दवाडी, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल एवं स्पीति (हि0प्र0) ने इस आशय के साथ इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र व अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किया है कि राजस्व अभिलेख के महाल D.P.F. भियाडी व महाल सिन्दवाडी में प्रार्थी का नाम वीर बहादुर दर्ज कागजात है, जोकि गलत हैं जबकि शपथ-पत्र व संलग्न दस्तावेजों के अनुसार प्रार्थी का नाम वीर भद्र है जो सही है। अब प्रार्थी महाल D.P.F. भियाडी व महाल सिन्दवाडी के राजस्व अभिलेख में अपना नाम दुरुस्त कर वीर भद्र करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मुकद्दमा नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह इश्तहार के प्रकाशित होने के एक महीने के भीतर अदालत हजा में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है अन्यथा यह समझा जायेगा कि किसी भी सम्बन्धित व्यक्ति को इस मुकद्दमा नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज न है तथा आवेदन पत्र को अन्तिम रूप दिया जायेगा व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 16-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उदयपुर, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल-स्पीति (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील उदयपुर,
जिला लाहौल-स्पीति (हि0प्र0)

संख्या : 23 / NCNT / 2025

तारीख मरजुआ : 24-07-2025

डोला राम पुत्र गुल्लू, निवासी गांव सलग्रा, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल एवं स्पीति (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

प्रार्थना पत्र बराए नाम दुरुस्ती बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

इस मुकद्दमें का संक्षिप्त सार यह है कि उपरोक्त डोला राम पुत्र गुल्लू निवासी गांव सलगा, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल एवं स्पीति (हि0प्र0) ने इस आशय के साथ इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र व अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किया है कि राजस्व अभिलेख के महाल D.P.F.लौहणी में प्रार्थी का नाम डुला दर्ज कागजात है, जोकि गलत है जबकि शपथ-पत्र व संलग्न दस्तावेजों के अनुसार प्रार्थी का नाम डोला राम है जो सही है। अब प्रार्थी महाल D.P.F. लौहणी के राजस्व अभिलेख में अपना नाम दुरुस्त कर डोला राम करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मुकद्दमा नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह इश्तहार के प्रकाशित होने के एक महीने के भीतर अदालत हजा में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है अन्यथा यह समझा जायेगा कि किसी भी सम्बन्धित व्यक्ति को इस मुकद्दमा नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज न है तथा आवेदन पत्र को अन्तिम रूप दिया जायेगा व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 26-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उदयपुर, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल-स्पीति (हि0प्र0)।
